

क्रमांक संख्या 73 /2006/20-इ, भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।विषय:- अशासकीय संस्था **दिल्ली एवं राज्य तंत्रज्ञानी वीमेंडा****कॉलेज रोड बिहार बबलपुर**
को सी.बी.एस.ई./आई.सी.स्स.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था **दिल्ली एवं राज्य तंत्रज्ञानी वीमेंडा कॉलेज रोड बिहार बबलपुर** को सी.बी.एस.ई./आई.सी.स्स.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नविधित शर्तों पर
दिया जाता है:-

१० प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लक्ष्य प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।

१२१ विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से दबदन पत्र लिखाया जाये।

१३१ इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र.राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रवृत्ति स्वं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवहार संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रवृत्ति कारिणी समिति में म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग स्वं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का जोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके स्वं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान किशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन चंद्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने स्वं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त स्वं वैध वाहनों वा ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेत् स्कूल दॉर्टरी इत्यादि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिक्षायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापन्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर ऐद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

आर. आर. अदिवारार

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-43/2006/20-3, भोपाल, दिनांक 27/6/06
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- बदलूर दक्ष. ।
3. प्राचार्य, अशासकाय शिक्षण संस्था- द्वितीय एवं तीसरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्रों द्वारा दीड़ दिल्ली दक्ष. ।
4. आईर बुक।
- की ओर सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत।

अवर सचिव 2) (6) (06)

म. प्र. शासन, सदूच विभाग